न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 22/2018 **प्रार्थना पत्र**

1. देवीसिहं पिता गणपतसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी— टीलाखेडा त0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0
2. घनश्याम सिंह पिता गणपतसिह जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी— टीलाखेड़ा त0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0
3. भरतसिह पिता गणपतसिह जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी— टीलाखेड़ा त0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

— विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट</u>

प्रार्थीगण की और से.— अधिवक्ता श्री इंदरमल भांभी उपस्थित

<u>आदेश</u>

दिनांकः— 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बिन्दु संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा टीलाखेड़ा प0ह0 अरनिया जोशी त0 निम्बाहेड़ा के साबिक खाता स. 432/283 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, नये आराजी न0 516 व 521 रकबा 0.77 हेक्टयर स्थित हैं । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं । वाद ग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रहा हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थीगण का संयुक्त 1/3 हक हिस्सा निहित हैं । उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व अनुसार नक्शे में दर्ज न होकर सेटलमेंट में अलग अलग दो हिस्सो में बांटकर नक्शे में अलग दर्शायी गई है वर्तमान में उक्त विवादित आराजीयात के नये आराजी न0 521 रकबा 0.27 हेक्टयर, आ0न0 516 रकबा 0.050 हे0 हैं । वर्तमान आराजी न0 का रकबा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत आराजी न0 432/283 के बराबर हैं जो मौके पर आराजी न0 285 के पेरेलर पूर्व से पश्चिम लगा हुआ स्थित हैं लेकिन वर्तमान में उक्त विवादित आराजीयात को रेकार्ड मे नक्शे में दो अलग—अलग टुकडों में दर्ज कर दिया जो पूर्वानुसार इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । मौजा टीलाखेड़ा प0प0 अरनिया जोशी त0 निम्बाहेड़ा के साबिक खाता स. 118 में वर्ष 2073—2076 में आ0न0 521 रकबा 0.27 हे0 हैं व खाता

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

संख्या 516 में आ0न0 516 रकबा 0.50 हे0 भूमि घनश्यामसिंह, भारतसिंह पिता गणपतसिह राजपूत निवासी टीलाखेड़ा के नाम रिकार्ड हैं । यह नवीन सेटलमेंट के बाद की स्थिति हैं जबकि सेटलमेंट से पूर्व टीलाखेडा में सम्वत्2060–63 मे खाता स. 55 में आ0न0 432/283 रकबा 3.01 दर्ज रिकार्ड देवीसिंह, घनश्यामसिंह, भारतसिंह पिता गणपतसिह राजपूत थी। नवीन सेटलमेंट में आ0न0 432/283 के नवीन आराजी न0 516,521, बने हैं जो कि अलग–अलग जगह नक्शें में दिखाये गये हैं । अतः सेटलमेंट से पूर्व रिकार्ड में आ0न0 283 वर्तमान राजस्व नक्शें में आ0न0 538 की आराजी का भाग होना प्रतीत है जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आ0न0 538 रकबा 2.53 हे विलानाम माईनिंग लीज रिकार्ड दर्ज हैं । अतः आदेशार्थ रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार माईनिंग विभाग एवं जे.के. सीमेन्ट कम्पनी को पक्षकार नही बनाया है जबकि वह भी प्रभावित पक्ष है बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)